

न्यायालय-ए0के0गुप्ता, न्यायिक मजिस्ट्रेट प्रथम श्रेणी, गोहद जिला भिण्ड, (मध्यप्रदेश)

आपराधिक प्रक0क्र0 1047 / 12

संस्थित दिनांक-28.12.12

राज्य द्वारा आरक्षी केंद्र-गोहद

जिला-भिण्ड (म0प्र0)

विरुद्ध

.....अभियोगी

1. महावीर पुत्र चन्द्रभान मिर्धा उम्र 55 साल
निवासी मढाखेरा थाना मेहगांव जिला भिण्ड

2. प्रकाश पुत्र पंचम जाटव उम्र 47 साल

निवासी ग्राम इटांयदा थाना मौ जिला भिण्ड म0प्र0 ..अभियुक्तगण

—:: निर्णय ::—

{आज दिनांक 27.07.17 को घोषित}

अभियुक्तगण पर भारतीय दंड संहिता 1860 (जिसे अत्र पश्चात "संहिता" कहा जायेगा) की धारा 379 के अधीन दण्डनीय अपराध का आरोप है कि उन्होंने दिनांक 23.12.12 को 22:35 बजे चितौरा रोड आम रोड पर सामान्य आशय के अग्रशरण में बगैर रॉयल्टी के चोरी से गिट्टी भरकर अपने आधिपत्य के डंफर क्रमांक एम0पी0-30 एच-1305 एवं एम0पी0-07 जी0ए0 1805 में भरकर बेईमानीपूर्वक आशय रखते हुए शासन की बिना सहमति से ले जाकर चोरी कारित की।

2. अभियोजन कथा संक्षेप में इस प्रकार से है कि दिनांक 23.12.12 को थाना गोहद में पदस्थ प्र0आर0 लक्ष्मणसिंह को दौरान इलाका भ्रमण मुखबिर से सूचना प्राप्त हुई कि चितौरा आम रोड पर बिना रॉयल्टी रसीद के डंफर चालक गिट्टी चोरी से भरकर ले जा रहे हैं। उक्त सूचना पर से मय फोर्स चितौरा गोहद आम रोड पर पहुंचे तो दो डंफर हरे रंग के दिखे जिन्हें रोका व रॉयल्टी रसीद दिखाने को कहा तो उन्होंने रॉयल्टी रसीद न होने की बात कही। एक डंफर क्रमांक एम0पी0-07 जी0ए0 1805 का चालक अभियुक्त महावीर मिर्धा तथा दूसरे डंफर क्रमांक एम0पी0-30 एच-1305 का चालक अभियुक्त प्रकाश था, जिन्होंने उक्त रॉयल्टी रसीद क्लीनर के पास होना बताई जबकि क्लीनर मौके पर मौजूद नहीं होना पाया गया। अतः उक्त डंफर जब्तकर जब्ती पत्रक बनाए गए, अभियुक्तगण को गिर0 कर गिर0 पत्रक बनाए गए। थाने के अप0क0-288/12 पंजीबद्ध किया गया। दौरान अनुसंधान साक्षियों के कथन लेख किए गए, जब्तशुदा वाहनों के भार की जांच कराई गयी, बाद अनुसंधान अभियोगपत्र पेश किया गया।

3. अभियुक्तगण को पद क्र० 1 में वर्णित आशय के आरोप पढ़कर सुनाये व समझाये जाने पर उनके द्वारा अपराध करने से इंकार किया गया। दफ्तर की धारा 313 के अधीन परीक्षण कराए जाने पर अभियुक्तगण ने निर्दोष होना तथा झूठा फंसाया जाना बताया।

4. प्रकरण के निराकरण हेतु निम्न विचारणीय प्रश्न हैं —

क्या अभियुक्तगण ने दिनांक 23.12.12 को 22:35 बजे चितौरा रोड आम रोड पर सामान्य आशय के अग्रशरण में बगैर रायल्टी के चोरी से गिट्टी भरकर अपने आधिपत्य के डंफर क्रमांक एम०पी०-30 एच-1305 एवं एम०पी०-07 जी०ए० 1805 में भरकर बेईमानीपूर्वक आशय रखते हुए शासन की बिना सहमति से ले जाकर चोरी कारित की ?

—:: सकारण निष्कर्ष ::—

5. अभियोजन की ओर से प्रकरण में रामकुमार अ०सा० 1, लक्ष्मणसिंह गौड़ अ०सा० 2, मुन्ना खटीक अ०सा० 3 को परीक्षित कराया गया है जबकि अभियुक्तगण की ओर से कोई बचाव साक्ष्य नहीं दी गई है।

6. लक्ष्मणसिंह गौड़ अ०सा० 2 यह कथन करते हैं कि दिनांक 22.12.12 को थाना गोहद में प्र०आ० के पद पर पदस्थ थे। दौरान इलाका गश्त मुखबिर से सूचना प्राप्त हुई कि चितौरा आम रोड पर बिना रायल्टी रसीद के डंफर चालक गिट्टी चोरी से भरकर ले जा रहे हैं। उक्त सूचना की तत्पश्चात् हेतु चितौरा गोहद आम रोड पर मय फोर्स पहुंचे तो दो डंफर हरे रंग के दिखे जिन्हें रोका और रायल्टी रसीद बावत् कहा तो रसीद न होना बताया। अभियुक्तगण ने अपने नाम बताए तथा रायल्टी रसीद क्लीनर के पास होना बताया, जबकि क्लीनर मौके पर मौजूद नहीं था। अभियुक्तगण का अपराध धारा 379 भादवि० के अधीन होने से उक्त डंफर अभियुक्त महावीर से डंफर क्रमांक एम०पी०-07 जी०ए० 1805 तथा अभियुक्त प्रकाश एम०पी०-30 एच-1305 जब्त किए गए, जब्ती पत्रक प्र०पी० 1 व 2 बताकर उन पर बी से बी भाग पर हस्ताक्षर प्रमाणित करते हैं। अभियुक्तगण को गिर० कर गिर० पत्रक प्र०पी० 3 व 4 बनाए जाने और उन पर भी बी से बी भाग पर हस्ताक्षर होना प्रमाणित करते हैं। तत्पश्चात् मय अभियुक्तगण के जब्तशुदा संपत्ति को लाकर थाने के अपराध क्रमांक 288/12 पर अपराध पंजीबद्ध कर प्र०पी० 5 की प्राथमिकी बताकर उस पर अपने ए से ए भाग पर हस्ताक्षर होना प्रमाणित करते हैं।

7. प्रकरण में जब्ती व गिरफ्तारी के साक्षी प्र०आ० रामकुमार अ०सा० 1 एवं मुन्ना खटीक अ०सा० 3 हैं। उक्त दोनों ही साक्षी दिनांक 23.12.12 को अभियुक्तगण के आधिपत्य से प्र०आ० लक्ष्मण सिंह द्वारा पत्थर की गिट्टी बिना रायल्टी रसीद के जब्त किए जाने का समर्थन करते हैं। साक्षीगण प्र०पी० 1 लगायत 4 पर क्रमशः ए से ए एवं बी से बी भाग पर अपने हस्ताक्षरों को प्रमाणित करते हैं। इस प्रकार से अभियुक्तगण के आधिपत्य से अभिकथित डंफरों की जब्ती के संबंध में अभियोजन के मामले का समर्थन जब्ती साक्षीगण ने किया है।

8. प्रकरण में अभियुक्तगण की ओर से अभिकथित जब्ती के तथ्य को चुनौती नहीं दी गयी है किन्तु उनका यह बचाव है कि उस समय थाने की बाउण्ड्री वाल का निर्माण चल रहा था एवं तत्समय थाना प्रभारी श्री एन0के0 उपाध्याय द्वारा डंपर चालकों से डंपर खाली करने को कहा था जब वे लोग सहमत नहीं हुए तो उनके विरुद्ध प्रकरण पंजीबद्ध कर दिया है। प्रकरण में अभियुक्तगण की ओर से साक्षी लक्ष्मणसिंह गौड अ0सा0 2 से प्रतिपरीक्षण की कण्डिका 2 में उक्त तथ्य के संबंध में सुझाव दिया है तो साक्षी ने इस तथ्य को अवश्य स्वीकार किया है कि उस समय थाना प्रभारी एन0के0 उपाध्याय पदस्थ थे। उक्त तथ्य के संबंध में साक्षी मुन्ना अ0सा0 3 एवं प्र0आर0 रामकुमार अ0सा0 1 ने भी अपने प्रतिपरीक्षण की कण्डिका 2 में थाना प्रभारी एन0के0 उपाध्याय के संबंध में तथ्य स्वीकार किया है किन्तु उक्त साक्षियों ने इस तथ्य के संबंध में सुझाव से इंकार किया कि थाने की बाउण्ड्री वाल का निर्माण चला रहा था और थाना प्रभारी द्वारा डंपर खाली करने को कहा था। यह भी तर्क प्रस्तुत किया कि प्र0डी0 2 एवं प्र0डी0 3 की अभिवहन पास/रायल्टी की रसीद अभियोगपत्र में संलग्न हैं। ऐसी दशा में जब अभियुक्तगण के पास रायल्टी रसीद मौजूद थी फिर भी जबरन उन पर अपराध असत्य रूप से दर्ज किया गया है। ऐसी दशा में अभियोजन साक्ष्य के सूक्ष्म परीक्षण की आवश्यकता है।

9. प्रकरण में कार्यवाहीकर्ता लक्ष्मणसिंह अ0सा0 2 हैं जो अपने अभिसाक्ष्य में इलाका गश्त हेतु रवाना होने का कथन करते हैं किन्तु प्रतिपरीक्षण की कण्डिका 2 में यह बताने में अस्मर्थ हैं कि वे किस वाहन से चितौरा गए थे। पुलिस साक्षी प्र0आर0 रामकुमार अ0सा0 1 प्रतिपरीक्षण की कण्डिका 2 में बताते हैं कि गश्त के लिए उनके साथ प्र0आर0 लक्ष्मणसिंह थे और वे लोग मोटरसाईकिल से गए थे, किन्तु मोटरसाईकिल का नंबर याद न होने का कथन करते हैं। साक्षी इसी कण्डिका में बताते हैं कि साक्षी मुन्नालाल खटीक मौ तरफ से अपनी मोटरसाईकिल से आ रहा था जो उन्हें देखकर रुक गया था। इसके विपरीत मुन्ना खटीक अ0सा0 3 अपने प्रतिपरीक्षण की कण्डिका 2 में बताते हैं कि उनके साथ पुलिस के लक्ष्मण गौड, थाना प्रभारी उपाध्याय व अन्य लोग थे। कण्डिका 3 में यह बताते हैं कि उनका लडका बस स्टैण्ड (गोहद) पर पेटेज का ठेला लगाता है और वे बस स्टैण्ड से पुलिस पार्टी के साथ गए थे। साक्षी इसी कण्डिका में बताता है कि वे पुलिस की सफेद रंग की बुलैरो गाडी से गए थे, लेकिन उसका नंबर बताने में अस्मर्थ है साथ ही उस गाडी को कौन चलाकर ले गया यह भी बताने में अस्मर्थ हैं। इस प्रकार से उपरोक्त अभियोजन साक्षीगण कथित जब्ती स्थल पर पहुंचने के परस्पर विरोधाभासी कथन करते हुए अभियोजन के मामले के प्रति संदेह उत्पन्न करते हैं।

10. लक्ष्मणसिंह अ0सा0 2 प्रतिपरीक्षण के अंत में स्वीकार करते हैं कि दिनांक 23.12.12 का चितौरा रवानगी एवं वापसी का कोई रोजनामचा सान्हा प्रकरण में संलग्न नहीं हैं। अभियोजन की

ओर से कार्यवाही की अनन्यता एवं उसकी पुष्टि के संबंध में कोई रोजनामचा सान्हा न तो अभियोग पत्र में उल्लेखित किया है और न हीं उसे प्रस्तुत व प्रमाणित किया है। जब्तीकर्ता द्वारा प्रतिपरीक्षण की कण्डिका 2 में स्वीकार किया है कि प्रकरण में रायल्टी रसीद प्र0डी0 2 व 3 संलग्न हैं। उक्त प्र0डी0 2 व 3 के दस्तावेज पर खनिज पत्थर के अनुज्ञप्तिधारी द्वारा दिनांक 24.12.12 उक्त जब्तशुदा डंपर क्रमांक एम0पी0-30 एच-1305 एवं एम0पी0-07 जी0ए0 1805 का अभिवाहन पास जारी किए जाने का तथ्य अभिलेख पर स्वयं अभियोजन दस्तावेजों से दर्शित है। ऐसी दशा में अभियोजन को अपनी अभिकथित कार्यवाही दिनांक 23.12.12 के रात्रि करीब 10:30 बजे से 11:00 बजे तक प्र0पी0 1 लगायत 5 की कार्यवाही की गयी थी। इस तथ्य को प्रमाणित किए जाने का अतिरिक्त भार था जिसके उन्मोचन हेतु अभियोजन हेतु कोई रोजनामचा सान्हा दस्तावेज प्रस्तुत व प्रमाणित नहीं किया गया है। ऐसी दशा में अभियुक्तगण की ओर से लिए गए बचाव को बल प्राप्त होता है।

11. लक्ष्मणसिंह अ0सा0 2 अपने प्रतिपरीक्षण की कण्डिका 2 में स्वीकार करते हैं कि तौल करते समय अभिकथित डंपर क्रमांक एम0पी0-07 जी0ए0 1805 में 17 टन बजन पाया गया था जबकि इसकी क्षमता 18 टन परमिट अनुसार है। इसके अतिरिक्त दूसरे डंपर क्रमांक एम0पी0-30 एच-1305 में 18 टन बजन पाया था। इस प्रकार से अभिकथित जब्तशुदा डंपर उन्हें भार ढोने के लिए दी गयी अनुज्ञप्ति से अधिक का भार ले जा रहे थे ऐसा भी तथ्य स्वयं अभियोजन के साक्षी एवं दस्तावेजों से स्पष्ट नहीं होता है। साक्षी मुन्ना खटीक अ0सा0 3 की विश्वसनीयता को खण्डित किए जाने के संबंध में उसे सुझाव दिया गया कि वह पुलिस का पॉकेट विटनेस है। यह साक्षी प्रतिपरीक्षण की कण्डिका 2 में यह कथन करता है कि वह खड़ेर गया था, चितौरा नहीं गया था। यह स्वीकार करता है कि चितौरा से पहले और गोहद के पास खड़ेर गांव है। साक्षी कण्डिका 3 में बताता है कि पुलिस के साथ डंपर पकड़ने वह थाना गोहद से गया था, जबकि कण्डिका 3 में बताता है कि बस स्टैण्ड पर उसका लडका पेटेज का ठेला लगाता है वहां से पुलिस उसे साथ ले गयी थी। कण्डिका 2 में यह बताने में अस्मर्थ है कि किस स्थान पर डंपर पकड़े थे। साक्षी कण्डिका 3 में यह कथन करता है कि ग्राम खड़ेर पर लिखापट्टी हुई थी जबकि अभियोजन के मामले के अनुसार कथित डंपर चितौरा रोड गोहद पर जब्त होना बताया गया है। इस प्रकार से साक्षियों के कथनों में तात्त्विक विरोधाभास मौजूद है। साथ ही अभिकथित स्वतंत्र साक्षी मुन्ना अ0सा0 3 के स्वतंत्र साक्षी होने के संबंध में भी संदेहपूर्ण परिस्थिति निर्मित होती है।

12. प्रकरण में यह तथ्य भी ध्यान देने योग्य है कि प्र0डी0 2 व 3 के दस्तावेज स्वयं अभियोजन की ओर से प्रस्तुत हैं। उक्त दस्तावेज के जारीकर्ता द्वारा यदि असत्य रूप से अभिवाहन पास जारी किए गए होते तो इस संबंध में अभियोजन पक्ष स्पष्ट कर सकता था किन्तु प्र0डी0 2 व 3 के दस्तावेजों अखण्डनीय से एवं दिनांक 23.12.12 के अभिकथित पुलिस कार्यवाही के संबंध में कोई

संपुष्टकारक रोजनामचा सान्हा न होने से अभियुक्तगण के इस तर्क को बल प्राप्त होता है कि उनके द्वारा जब्तशुदा वाहन में ले जाया जा रहा खनिज सफेद गिट्टी को अभिवहन पास प्राप्ति के उपरांत परिवहन किया जा रहा था। अभियोजन पक्ष द्वारा अभिकथित जब्तशुदा खनिज के संबंध में कोई राजसात की कार्यवाही या खनिज अधिनियम के अधीन कोई कार्यवाही न किए जाने के संबंध में प्रस्तुत प्रतिवेदन से भी अभियुक्तगण के बचाव को बल प्राप्त होता है।

13. प्रकरण में जहां कथित जब्ती व गिर0 की कार्यवाही चितौरा आम रोड गोहद पर प्र0आर0 लक्ष्मणसिंह अ0सा0 2 ने करना बताई है वहीं गिर0 पत्रक प्र0पी0 3 पर अपराध क्रमांक के कॉलम में प्र0पी0 5 का अपराध क्रमांक उल्लेखित है जबकि जिस समय प्र0पी0 3 का दस्तावेज लिखा जाना तात्पर्यित है उस समय कोई भी प्राथमिकी पंजीबद्ध नहीं हुई थी। प्र0पी0 1 लगायत 4 की कार्यवाही अभियोजन दस्तावेजों के अनुसार रात्रि 22:33 बजे से 22:45 बजे अर्थात् 10:45 बजे तक किया जाना लेख किया गया है, जबकि प्र0पी0 5 की प्राथमिकी के अनुसार अपराध रात्रि 11 बजे पंजीबद्ध किया गया है और जब्ती स्थल से थाने की दूरी लगभग 14 किमी0 लेख की गयी है। ऐसे में मात्र 15 मिनट के अंतराल में वाहनों को जब्ती उपरांत थाने पर लाने और अपराध पंजीबद्ध किए जाने में अव्यवहारिक एवं अतार्किक रूप से शीघ्रता दर्शित हो रही है जिसका कोई युक्तियुक्त स्पष्टीकरण अभिलेख पर नहीं हैं।

14. दाण्डिक विधि के अधीन अभियोजन को अपना मामला युक्तियुक्त संदेह से परे प्रमाणित करना होता है अर्थात् यदि एक सामान्य प्रज्ञावान व्यक्ति के मन में अभियुक्त के दोषी होने के संबंध में संदेह उत्पन्न हो जाए तो वह अपराध अभियुक्त के विरुद्ध युक्तियुक्त संदेह से परे प्रमाणित नहीं कहलाता है। न्याय दृष्टांत **बर्की जोसफ बनाम केरल राज्य, ए.आई.आर. 1993 एस.सी. 1892** में माननीय सर्वोच्च न्यायालय ने यह मताभिव्यक्ति की है कि सन्देह, सबूत का अनुकल्प नहीं है। “सत्य हो सकता है” और “सत्य होना चाहिए” के बीच काफी दूरी है और अभियोजन को अपना पक्ष समस्त युक्ति-युक्त सन्देह से परे साबित करने के लिए पूरा प्रयास करना होता है।

15. अतः उपरोक्त विवेचन के आधार पर अभियोजन युक्तियुक्त संदेह से परे प्रमाणित करने में असफल रहा है कि अभियुक्तगण ने दिनांक 23.12.12 को 22:35 बजे चितौरा रोड आम रोड पर सामान्य आशय के अग्रशरण में बगैर रॉयल्टी के चोरी से गिट्टी भरकर अपने आधिपत्य के डंफर क्रमांक एम0पी0-30 एच-1305 एवं एम0पी0-07 जी0ए0 1805 में भरकर बेईमानीपूर्वक आशय रखते हुए शासन की बिना सहमति से ले जाकर चोरी कारित की अतः अभियुक्तगण को संहिता की धारा 379 के आरोप से दोषमुक्त किया जाता है।

16. अभियुक्तगण की जमानत निरस्त की जाती हैं, उसके निवेदन पर मुचलके 6 माह तक प्रभावी रहेंगे।

17. प्रकरण में जब्तशुदा संपत्ति डंफर क्रमांक एम0पी0-30 एच-1305 एवं एम0पी0-07 जी0ए0 1805 पूर्व से सुपुर्दगी पर हैं अतः अपील अवधि पश्चात् सुपुर्दगीनामा उनके पक्ष में निरस्त समझा जावे। अपील की दशा में अपील न्यायाल के आदेश का पालन हो।

निर्णय खुले न्यायालय में टंकित कराकर,

मेरे निर्देशन पर टंकित किया गया।

हस्ताक्षरित, मुद्रांकित एवं दिनांकित

कर घोषित किया गया।

सही/-

ए0के0 गुप्ता
न्यायिक मजिस्ट्रेट प्रथम श्रेणी
गोहद, जिला भिण्ड मध्यप्रदेश

सही/-

ए0के0 गुप्ता
न्यायिक मजिस्ट्रेट प्रथम श्रेणी
गोहद, जिला भिण्ड मध्यप्रदेश